



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग - 4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 28 दिसम्बर, 1998

पौष 7, 1920 शक सम्वत्

### उत्तर प्रदेश सरकार

श्रम अनुभाग - 3

संख्या 3401/36-3--98-16 (सा०) - 97

लखनऊ, 28 दिसम्बर, 1998

### अधिसूचना

प०आ० - 678

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, (अधिनियम संख्या 61 सन् 1986) की धारा 17 के अधीन श्रम का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या-1114/36-3-16(सा०)-97, दिनांक 16 मई, 1997 का अतिक्रमण करके राज्यपाल नीचे स्तम्भ-2 में उल्लिखित अधिकारियों को स्तम्भ-3 में उनके नामों के सामने अंकित स्थानीय सीमाओं के लिये "निरीक्षक" नियुक्त करते हैं।

| क्रम संख्या                                | अधिकारी                                     | अनुसूची | स्थानीय सीमाएँ                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| 1                                          | 2                                           | 3       | 4                                   |
| 1                                          | समस्त परगना मजिस्ट्रेट                      |         | उनकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर तदैव |
| 2                                          | समस्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार             |         | तदैव                                |
| 3                                          | समस्त खण्ड विकास अधिकारी                    |         | तदैव                                |
| उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 28 दिसम्बर, 1998 |                                             |         |                                     |
| 1                                          | 2                                           | 3       | 4                                   |
| 4                                          | ब्लाकों में तैनात समस्त सहायक विकास अधिकारी |         | उनकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर तदैव |
| 5                                          | समस्त बैसिक शिक्षा अधिकारी                  |         | तदैव                                |
| 6                                          | समस्त सहायक बैसिक शिक्षा अधिकारी            |         | तदैव                                |

आज्ञा से,

( डी० सी० लाखा )  
सचिव।

